Form No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शंकरलाल बनाम **राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976**

किस्म मुकदमा **अपील (रसद)** नं0 **010** सन् **20213**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.07.2023	वकील अपीलार्थी के निवेदन पत्र पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर। हाजिर वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की और से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटीशन प्रस्तुत की गई है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, अतः अपीलार्थी इस अपील में अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, अतः अपील अपीलार्थी में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावें। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो का चिंतन–मनन किया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.रिट पीटीशन संख्या 7875/2023 में आदेश दिनांक 01.06.2023 से स्थगन आदेश पारित किया गया है एवं अपीलार्थी स्वयं वर्तमान स्थिति में अपनी अपील नहीं चलाना चाहता है, अतः वकील अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये हस्तगत अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखगार भिजवाई जावें। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 21.07.2023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official